न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2017	03.01.2017	04.10.2021

उनवान

1. उदयसिंह पुत्र महोदवा प्रसाद उम्र करीब 50 साल जाति मीणा निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. वाधूमल पुत्र नरसिंह जाति नावाणी (सिन्धी) निवासी प्लॉट सं0 530 बी सिन्धी कालोनी, झूलेलाल मन्दिर के पास, आर्दश नगर, राजापार्क जयपुर, राज0।
2. लीलाराम पुत्र नरसिंह
3. यशोदार पुत्री नरसिंह
4. लाजवन्ती पुत्री नरसिंह जातियान नावाणी (सिन्धी) प्लॉट सं0 530 बी सिन्धी कालोनी, झूलेलाल मन्दिर के पास आर्दश नगर, राजापार्क जयपुर, राज0।
5. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

7. श्योराम पुत्र महादेवा प्रसाद जाति मीणा
8. रामकिशोर
9. धर्मवीर पुत्रान मोहरसिह पौत्र महादेवा प्रसाद जाति मीणा
10. लक्ष्मीदेवी पुत्र मोहरसिंह पौत्री महादेवा जाति मीणा
11. मायादेवी पुत्र मोहरसिंह पुत्री महादेवा जाति मीण निवासीयान मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावाः— ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0दवामी

—: निर्णय :—

दिनांक :— 04.10.2021

उपस्थिति :—
1— श्री मदनलाल सावरिया, वकील वादीगण
2— श्री रणवीर सिंह यादव, वकील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.03.15 18:07:26 IST
Reason: SelfAttested

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—
आराजी खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 व खसरा नम्बर [illegible]8 रकबा 0.81 है0 वाके ग्रा[illegible] गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जिसमे से आराजी हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 यानि 6 बीधा 9 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 434 रकबा 5 बीधा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

9 बिस्वा सैटलमेट के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गाधीनगर में पैमूद किय गया है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 434 रकबा 5 बीधा 9 बिस्वा प्रतिवादीगण असल के पिता नरसिंह खत्री के कब्जेकाश्त की आराजी थी, जिस आराजी को प्रतिवादीगण असल के पिता नरसिंह ने दिनांक 16.08.1966 को जरियें बैयनामा मिन वादी के पिता व तर प्रतिवादीगण के पिता/दादा महादेवा प्रसाद ने बाकब्जा खरीद की है, जिस खरीदशुद्वा आराजी पर मिन वादी व तर प्रतिवादीगण का पिता/दादा के फौत होने के बाद से मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 यानि 6 बीधा 9 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 434 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 435 का 1 बीधा रकबा को सामिल करते हुये रकबा 06 बीधा 9 बिस्वा सैटलमेट के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमूद किया गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 435 का रकबा 1 बीघा मिन वादी के पिता व तर0 प्रतिवादी के पिता/दादा काबिज खातेदार काश्तकार आराजी रहे, मौका पर आज भी वादी व तर0 प्रतिवादीगण काबिज काश्त खातेदार आराजी है, लेकिन सैटलमैन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 में गत खसरा नम्बर 434 रकबा 5 बीधा 9 बिस्वा तथा साबिक खसरा नम्बर 435 का रकबा 1 बीधा सालिम करते हुये हाल खसरा नम्बर 856 बनाया है तथा हाल खसरा नम्बर 858 रकबा 0.81 है0 यानि 3 बीधा 4 बिस्वा, जिसके गत खसरा नम्बर 435 का रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 436 का रकबा 10 बिस्वा रकबा मिलाकर खसरा नम्बर 858 रकबा 0.81 है0 बनाया है जबकी खसरा नम्बर 435 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा मिन वादी के पिताव तर प्रतिवादी के पिता/दादा काबिज काश्त आराजी रहे है तथा मौका पर आज भी काबिज काश्त आराजी है, लेकिन सैटलमेट में गत खसरा नम्बर 435 का रकबा 3 बीघा रकबा खिलाफ मौका , खिलाफ कानून है तथा राजस्व कर्मचारियों को मात्र पूर्व की एन्ट्री को ही रिपोर्ट करना चाहिए था। जो गलत इन्द्राज सैटलमेट से ताः हाल जमाबन्दीयात चला आ रहा है इसलिए उक्त गलत इन्द्राज को मिन वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है इसलिए दावा अदालत श्रीमान के समक्ष इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जा रहा है। मिन वादी विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मिन वादी को कभी राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यकता ही नहीं पडी, परन्तु अब मिन वादी क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 13.10.2016 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और राजस्व रिकोर्ड की नकल लेनी चाही तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर मिन वादी ने राजस्व रिकोर्ड की साबिक नकुलाय एकत्रित कर प्रतिवादीगण से राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा , परन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने से दिनांक 22.12.2016 को साफ मना कर दिया और ऐलानिया धमकी दी है कि विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम है हम इसका बेचान करेंगे। तथा तुम्हें आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे। तुम्हें जो करना हो कर लेना , बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत होती है। यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गये तथा राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर आराजी का बेचान कर दिया तथा मिन वादी को अपनी पैतृक आराजी से मह[illegible] को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से [illegible] नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायाना हो जा[illegible] रक्षित हैं। इसलिए मिन वादी अपने अधिका[illegible] दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए [illegible] वामी पेश करना लाजिमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.03.15 18:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर में से रकबा 1 बीघा यानि 0.25 है0 में से मिन वादी को 1/3 भाग व तर0 प्रतिवादी सं0 7 को 1/3 भाग व तर0 प्रतिवादी संख्या 08 ल0 11 को 1/3 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। व इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के नाम का अमल दरामद किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के हक व हिस्से तक हजफ कर, राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी का जबाब रहा कि हाल खसरा नं. 456 मिन 1.63 है0 या 6 बीघा 9 बिस्वा रकबा है, जिसमें साबिक 434 का 5 बीघा 9 बीस्वा व साबिक 435 का 1 बीघा रकबा मिलाया गया है। साबिक 434 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा से हाल 856 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भू प्रबन्ध विभाव द्वारा पैमूद किया गया है व साबिक खसरा नं. 435 प्रतिवादी का 2 बीघा 11 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी रही है। हाल ख0 नं. 856 मिन में 5 बीघा 9 बिस्वा साबिक 434 का एवं 1 बीघा रकबा साबिक 435 मिन 2 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादीगण की अलोट शुदा में से शामिल करते हुए कर्मचारियों द्वारा भू प्रबन्ध विभाग ने मिलाया है। साबिक 435 का शेष रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नं. 856 मिन 1 बीघा पैमूद किया और साबिक मिन 435 शेष रकबा 11 बिस्वा दीगर खसरा नं0 में शामिल कर दिया है। खसरा नं0 हाल 856 मिन 1.63 हैक0 हम प्रतिवादीगण के अलोट शुदा साबिक खसरा नं0 मिन 435 का 1 बीघा रकबा भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा मिलाया गया है व साबिक मिन 435 का शेष रकबा से हाल मिन 856 रकबा 1 बीघा पैमूद किया है। वादीगण का प्रतिवादीगण की खरीद शुदा आराजी व अन्य आराजी भूप्रबन्ध विभाग को चुनौती दे रहे है। वादीगण का साबिक ख0नं0 435 मिन रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा था और हम प्रतिवादीगण के पिता के नाम साबिक ख0नं0 435 मीन 2 बीघा 11 बिस्वा रहा हैं हम प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 मिन 435 के रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से भूप्रबन्ध विभाग के वाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा 1 बीघा रकबा हाल ख0नं0 856 मिन में शामिल करते हुये हाल ख0नं0 856 को 5 बीघा 9 बिस्वा के बजाय 6 बीघा 9 बिस्वा कर दिया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0नं0 435 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा के हाल ख0नं0 857 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा व हाल 858 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं हाल 856 मिन 1 बीघा पैमूद किया है। जबकि साबिक ख0नं0 435 मिन 2 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादीगण का एवं साबिक 435 मिन 3 बीघा 16 बिस्वा वादीगण का रहा है। प्रतिवादीगण का साबिक 435 मिन 2 बीघा 11 बिस्वा में से 1 बीघा हाल 856 मिन में साबिक 434 के रकबे के साथ मिलाकर रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कर दिया उक्त 1 बीघा रकबा प्रतिवादीगण का हैं। जिससे वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादीगण ने तथ्यों का छिपाकर केवल साबिक ख0नं0 435 को तन्हा अपनी आराजी होने का कथन किया है जो गलत है क्योंकि मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड साबिक ख0नं0 435 रकबा 6 बीघा 9 [illegible] गण का एवं 3 बीघा 16 बिस्वा वादीगण का रहा है। इसलिए वादी [illegible] को छिपाया गया है। और प्रतिवादी का ख0नं0 435 में हक [illegible] दिया है। इसलिये हाल ख0नं0 856 मिन रकबा [illegible] प्रतिवादीगण की है, जिससे वादीगण व तर प्रति[illegible] हैं। और ना ही गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण कोई अधिकारों की घोषणा क[illegible] के अधिकारी है। इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को पूर्व से रही है और वादीगण ने [illegible] प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर दायर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.03.15 18:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

किया है। वादीगण का आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 435 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से कोई लेना देना नही है। उक्त 435 मिन में से 1 बीघा जो साबिक 434 के रकबा से मिलाकर हाल खसरा नम्बर 856 मिन में सामिल किया है उक्त रकबा प्रतिवादी का है। जिसमें वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। एवं रिकोर्डेड गैर खातेदार को हु0ई0दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। जवाब दावा पेशकर अर्ज है कि वाद वादी काबिज खारिज है दावा हु0ई0दवामी केवल काबिज काश्तकार ही पेशकर अनुतोष पा सकते है, वादी का आराजी पर कब्जा कभी नही रहा है, गैर काबिज व्यक्ति हु0ई0दवामी का अनुतोष पाने के अधिकार वादी नही रखता है। वाद वादी काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, खसरा परिवर्तन किता 2 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2059–62 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2051–54 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2047–50 किता 2 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2043–46 किता 2 प्रदर्श–8, नकल जमाबन्दी सम्बत किता 2 2019–22 प्रदर्श–9, फोटोकोपी नकल बैयनामा पेश किये है जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी हाल खसरा नं. 456 मिन 1.63 है0 या 6 बीघा 9 बिस्वा रकबा है, जिसमें साबिक 434 का 5 बीघा 9 बीस्वा व साबिक 435 का 1 बीघा रकबा मिलाया गया है। साबिक 434 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा से हाल 856 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भू प्रबन्ध विभाव द्वारा पैमूद किया गया है व साबिक खसरा नं. 435 प्रतिवादी का 2 बीघा 11 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी रही है। हाल ख0 नं. 856 मिन में 5 बीघा 9 बिस्वा साबिक 434 का एवं 1 बीघा रकबा साबिक 435 मिन 2 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादीगण की अलोट शुदा में से शामिल करते हुए कर्मचारियों द्वारा भू प्रबन्ध विभाग ने मिलाया है। साबिक 435 का शेष रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नं. 856 मिन 1 बीघा पैमूद किया और साबिक मिन 435 शेष रकबा 11 बिस्वा दीगर खसरा नं0 में शामिल कर दिया है। खसरा नं0 हाल 856 मिन 1.63 है0 हम प्रतिवादीगण के अलोट शुदा साबिक खसरा नं0 मिन 435 का 1 बीघा रकबा भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा मिलाया गया है व साबिक मिन 435 का शेष रकबा से हाल मिन 856 रकबा 1 बीघा पैमूद किया है। जिससे वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादीगण ने तथ्यों का छिपाकर केवल साबिक ख0नं0 435 को तन्हा अपनी आराजी होने का कथन किया है जो गलत है क्योंकि मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड साबिक ख0नं0 435 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से 2 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादीगण का एवं 3 बीघा 16 बिस्वा वादीगण का रहा है। इसलिए वादी ने इन तथ्यों को छिपाया गया है। और प्रतिवादी का ख0नं0 435 में हक व हिस्सा होने का [illegible] रूप से नकार दिया है। इसलिये हाल ख0नं0 856 मिन रकबा 1063 में 1 बीघा या [illegible] आराजी प्रतिवादीगण की है, जिससे वादीगण व तर प्रतिवादी का कोई लेना [illegible] नही [illegible] और ना ही गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण कोई अधिकारी की घोषणा करने [illegible] है। इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को पूर्व से रही है और वादीगण ने अब [illegible] वादीगण को तंग परेशान करने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर दायर किया है। वादीगण का आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 435 मिन र[illegible] 2 बीघा 11 बिस्वा में से कोई लेना देना नही है। उक्त 435 मिन में से 1 बीघा जो साबिक 434 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.03.15 18:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

रकबा से मिलाकर हाल खसरा नम्बर 856 मिन में सामिल किया है उक्त रकबा प्रतिवादी का है। जिसमें वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है।

–: तनकी :–

विवादित आराजी वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता दादा महादेवा प्रसाद द्वारा साबिक खसरा नम्बर 434 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा आराजी असल प्रतिवादीगण के पिता नरसिंह से दिनांक 16.08.1966 को जर्ये बयनामा खरीदशुद्धा आराजी है जिस पर वादी व तर प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 856 रकबा 1.63 है0 यानि 06 बीघा 9 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 434 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 6 बीघा 9 बिस्वा सैटलमेन्ट दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमूद किये गया है जिस रकबा पर वादी व तर0 प्रतिवादीगण काबिज काश्त आराजी है। जिस आराजी में 1 बीघा का रकबा असल प्रतिवादीगण स0 1 लगायत 4 के नाम खिलाफ मौका खिलाफ कानून राजस्व कर्मचारियो द्वारा दर्ज कर दिया है। जिसको दुरूस्त कराने व प्रतिवादीगण असल को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

:– जिम्मेवादी

प्रतिवादीगण के पिता के नाम साबिक खसरा नम्बर 435 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से भू–प्रबंध विभाग के राजस्व कर्मचारियों द्वारा 1 बीघा रकबा हाल खसरा नम्बर 856 में शामिल कर दिया, हाल खसरा नम्बर 856 को 5 बीघा 9 बिस्वा के बजाय 6 बीघा 9 बिस्वा कर दिया जिस रकबा से वादी का कोई सम्बध व सरोकार नही है जिसको दूरूस्त कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का वादी अधिकारी नही है।

–: जिम्मेप्रतिवादी

उपर्युक्तानुसार वादी ने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी को साबित नही किया है। न्यायालय वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य नही पाता है। परिणामतः वादी वाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

<u>–:: निर्णय ::–</u>

अतः वादी अपने दावे को प्रस्तुत महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजात् साक्ष्य से तनकी को साबित करने में विफल रहने के कारण वादी के वाद को खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.03.15 18:07:26 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज ब[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अ[illegible]) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या 03/2017	रजू दिनांक 03.01.2017	पर्चा डिक्री दिनांक 04.10.2021

उनवान

1. उदयसिंह पुत्र महादेवा प्रसाद उम्र करीब 50 साल जाति मीणा निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. वाधूमल पुत्र नरसिंह जाति नावाणी (सिन्धी) निवासी प्लॉट सं0 530 बी सिन्धी कालोनी, झूलेलाल मन्दिर के पास, आर्दश नगर, राजापार्क जयपुर, राज0।
2. लीलाराम पुत्र नरसिंह
3. यशोदार पुत्री नरसिंह
4. लाजवन्ती पुत्री नरसिंह जातियान नावाणी (सिन्धी) प्लॉट सं0 530 बी सिन्धी कालोनी, झूलेलाल मन्दिर के पास आर्दश नगर, राजापार्क जयपुर, राज0।
5. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

7. श्योराम पुत्र महादेवा प्रसाद जाति मीणा
8. रामकिशोर
9. धर्मवीर पुत्रान मोहरसिह पौत्र महादेवा प्रसाद जाति मीणा
10. लक्ष्मीदेवी पुत्र मोहरसिंह पौत्री महादेवा जाति मीणा
11. मायादेवी पुत्र मोहरसिंह पुत्री महादेवा जाति मीण निवासीयान मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा:– ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0दवामी

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री मदनलाल सावरिया एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट** में इस वाद में **आज दिनांक 04.10.2021** को **श्री पंकज बडगूजर, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम नि[illegible] आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

अतः वादी अपने दावे को प्रस्तुत महत्वपूर्ण व सु[illegible] साबित करने में विफल रहने के कारण वादी के दावे को [illegible] खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाक[illegible]द हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.03.15 18:07:26 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0